भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5384

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

सिंचाई की क्षमता

5384. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में विद्यमान सिंचाई की संभावना/क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सिंचाई की संभावना/क्षमता और इसके उपयोग के बीच भारी अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेः -वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सिंचाई की संभावना/क्षमता में वृद्धि करके इस अंतर को भरने के संबंध में प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है तथा इसके परिणामस्वरूप सिंचाई की संभावना/क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित/जारी/उपयोग की गई है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार इष्टतम सिंचाई क्षमता और सृजित सिंचाई क्षमता का विवरण अनुलग्नक-। में दिया गया है।

(ख) से (ङ) सरकार इस बार के प्रति सचेत है कि सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच अंतर है। इस अंतर के कारणों में परियोजना डिजाइन में अभिकल्पित पैटर्न से भिन्न फसल पद्धतियों को अपनाना, आवाह क्षेत्र में अवरोध अथवा वर्षापात में कमी के कारण बांध में कम अंतर्वाह का आना, गैर-सिंचाई उद्देश्य के लिए जल आबंटन, मुख्य नहर और वितरण प्रणाली की स्थिति, ताकि हाइड्रोलिक रूप से अनफिट न बन जाए, जल संवहन प्रणालियों और फील्ड चैनलों की गैर-मौजूदगी/अनुपयुक्त अनुरक्षण, कृषि योग्य कमान क्षेत्र में परिवर्तन, अप्राधिकृत उपयोग आदि शामिल हैं।

सिंचाई, राज्य का विषय होने के कारण परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और संचालन राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वयं की प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के अनुसार उनके स्वयं के संसाधन से किया जाता है। राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता देने के लिए भारत सरकार सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा सृजित सिंचाई क्षमता के बेहतर और अधिकतम उपयोग प्राप्त करने के लिए कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। एआइबीपी कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम दोनों को वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में शामिल कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य देश में सभी कृषि योग्य खेतों में कुछ हद तक संरक्षात्मक सिंचाई की पहुंच सुनिश्चित करते हुए 'हर खेत को पानी' उपलब्ध कराना है। शीघ्र पूरा करने के लिए एआइबीपी के तहत 99 (चरण-वार सहित 106) परियोजनाओं को प्राथमिकीकृत किया गया है। इन प्राथमिकीकृत सिंचाई परियोजनाओं के संगत सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाता है। प्राथमिकीकृत सिंचाई परियोजनाओं के साथ-साथ सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम का कार्यान्वयन सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को पाटने के लिए है।

प्राथमिकीकृत सिंचाई परियोजनाओं के लिए वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में जारी राज्य केन्द्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-।। में दिया गया है और वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए सीएडीडब्ल्यूएम के लिए जारी केन्द्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-।।। में दिया गया है।

<u>अनुलग्नक</u> -I

"सिंचाई की क्षमता" विषय पर दिनांक 25.07.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5384 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

इष्टतम सिंचाई क्षमता और सृजित सिंचाई क्षमता का विवरण

क्षमता मिलियन हेक्टेयर

क्र.[illegible]	राज्य	[illegible]	मार्च, 2012 [illegible]
1	**2**	**3**	**4**
1	आध्र प्रदे तेलंगाना	11.26	**7.57**
2	अरुणाचल प्रदे	0.17	**0.15**
3	असम	2.87	**1.20**
4	बिहार	10.89	**8.73**
5	छत्तीसगढ़	1.72	**2.70**
6	गोवा	0.12	**0.08**
7	गुजरात	6.10	**4.82**
8	हरियाणा	4.51	**3.99**
9	हिमाचल प्रदेश	0.35	**0.25**
10	जम्मू कश्मीर	1.36	**1.88**
11	झारखंड	2.46	**1.25**
12	कर्नाटक	5.97	**3.16**
13	केरल	2.68	**3.45**
14	मध्य प्रदेश	16.21	**2.64**
15	महाराष्ट्र	8.95	**7.54**
16	मणिपुर	0.60	**0.23**
17	मेघालय	0.17	**0.08**
18	मिजोरम	0.07	**0.04**
19	नागालैंड	0.09	**0.12**
20	औडिशा	8.80	**4.14**
21	पंजाब	5.97	**6.16**
22	राजस्थान	5.13	**5.68**
23	सिक्किम	0.07	**0.04**
24	तमिलनाडु	5.53	**5.86**
26	त्रिपुरा	0.28	**0.19**
27	उत्तर प्रदेश	29.64	**33.59**
28	उत्तराखंड	0.86	**0.94**
29	पश्चिम बंगाल	6.92	**6.05**
	[illegible] **राज्य क्षेत्र**	0.14	**0.06**
	अखिल भारत [illegible]	**139.89**	**112.57**

अनुलग्नक - II

"सिंचाई की क्षमता" विषय पर दिनांक 25.07.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5384 □□□□ (□) □□(□) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमकेएसवाई के तहत प्राथमिकीकृत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं का विवरण □□ वर्ष 2016-17, 2017-18 □□ 2018-19 के लिए लिए जारी राज्य केन्द्रीय □□□□□ □□ विवरण

(□□□□ रूपए)

राज्य	क्र.□□	परियोजना	2016-17	2017-18	2018-19
आंध्र प्रदेश	1	गुंडलाकम्मा	0.00	11.79	0.00
	2	ताडीपुरी एलआईएस	0.00	0.00	0.00
	3	थोटापल्ली	0.00	0.00	0.00
	4	ताराकमे तीर्थ सागरम	0.00	3.45	0.00
	5	मुसुरुमिल्ली	7.40	0.00	0.00
	6	पुस्कार एलआईएस	0.00	0.00	0.00
	7	येरोकलावा	0.00	0.00	0.00
	8	मेड्डीगड्डा	0.00	0.00	0.00
		कुल	7.40	15.24	0.00
असम	1	धनसिरी	0.00	0.00	0.00
	2	चंपामती	0.00	0.00	0.00
	3	बोरोलिया	0.00	0.00	0.00
		कुल	0.00	0.00	0.00
बिहार	1	दुर्गावती	0.00	46.32	0.00
	2	पुनपुन	0.00	0.00	37.82
		कुल	0.00	46.32	37.82
छत्तीसगढ़	1	मनियारी टैंक	0.00	3.63	0.00
	2	केलो	13.29	13.63	0.00
	3	खरुंग	0.00	0.00	0.00
		कुल	13.29	17.26	0.00
गोवा	1	तिल्लारी	0.00	0.00	0.00
		कुल	0.00	0.00	0.00
गुजरात	1	सरदार सरोवर	961.88	1410.49	1047.29
		कुल	961.88	1410.49	1047.29
जम्मू एवं कश्मीर	1	त्राल लिफ्ट	0.00	0.00	10.69
	2	प्राक्षिक ख्वास नहर	0.00	1.35	0.00
	3	मुख्य रावी नहर का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण	0.00	8.22	3.93
	4	राजपोरा लिफ्ट	0.00	2.48	2.30
		कुल	0.00	12.05	16.92
झारखंड	1	सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय	145.75	305.10	305.88
		कुल	145.75	305.10	305.88
कर्नाटक	1	करंजा	4.15	15.50	0.00
	2	श्री रामेश्वरम	0.00	0.00	0.00
	3	एनएलबीसी प्रणाली (नई)	0.00	368.86	197.00

राज्य	क्र.सं	परियोजना	2016-17	2017-18	2018-19
	4	ऊपरी तुगा	108.88	75.16	0.00
	5	भीमा एलआईएस	22.44	0.00	0.00
		कुल	135.47	459.52	197.00
केरल	1	कारापुझा	0.00	0.00	0.00
	2	मुवाट्टुपुझा	0.00	0.00	0.00
		कुल	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	1	सिंध परियोजना फेज-II	35.52	0.00	0.00
	2	माही	4.70	0.00	0.00
	3	बरियारपुर एलबीएस	6.62	0.00	0.00
	4	बाणसागर यूनिट-2	0.00	68.02	0.00
	5	महान	2.38	1.80	0.00
	6	पेंच	0.00	4.99	0.00
	7	सागड	2.51	0.00	0.00
	8	सिंहपुर	1.94	0.00	0.00
	9	संजय सागर (बाह)	3.00	0.00	0.00
	10	महुआर		0.00	0.00
	11	इंदिरा सागर नहर परियोजना फेज-I एवं II	16.35	7.34	0.00
	12	इंदिरा सागर नहर परियोजना फेज-III	39.65	51.29	14.97
	13	इंदिरा सागर नहर परियोजना फेज - IV	29.22	24.55	31.70
	14	इंदिरा सागर नहर परियोजना फेज - V (खरगोन लिफ्ट)	9.51	0.00	0.00
	15	ओंकारेश्वर नहर परियोजना फेज-II	11.00	5.92	0.00
	16	ओंकारेश्वर नहर परियोजना फेज-III	14.06	12.88	2.50
	17	ओंकारेश्वर नहर परियोजना फेज-IV (ओएसपी लिफ्ट)	61.27	4.50	1.74
	18	बारगी डाइवर्जन परियोजना फेज – I (16 किमी. से 63 किमी.)	5.66	0.00	1.92
	19	बारगी डाइवर्जन परियोजना फेज- II (63 किमी. से 104 किमी.)	11.65	0.00	0.00
	20	बारगी डाइवर्जन परियोजना फेज - III (104 किमी. से 154 किमी)	33.85	0.00	28.18
	21	बारगी डाइवर्जन परियोजना फेज - IV (154 कि.मी. से 197 कि.मी.)	11.28	0.00	0.00
		कुल	300.14	181.27	81.01
महाराष्ट्र	1	वाघुर	81.70	0.00	113.32
	2	बावनथाडी (आईएस)	16.84	10.00	0.00
	3	निचली दुधना	39.62	5.27	4.48
	4	तिल्लारी	11.94	0.00	0.00
	5	निचली वर्धा		0.00	38.94

राज्य	क्र.सं.	परियोजना	2016-17	2017-18	2018-19
	6	निचली पजारा	8.73	9.90	0.00
	7	नंदुर मधमेश्वर फेज-II	16.04	0.25	0.95
	8	गोसीखुर्द (एनपी)		166.59	195.81
	9	ऊपरी पेनगंगा	12.26	26.19	55.30
	10	बेम्बला	24.18	54.48	42.90
	11	तराली	24.38	0.00	6.43
	12	धोम बालकवाडी	5.78	13.46	7.94
	13	अर्जुन	1.01	4.73	3.36
	14	ऊपरी कुंडालिका	1.01	7.04	1.56
	15	अरूणा		0.00	0.00
	16	कृष्णा कोयना लिफ्ट	23.09	29.27	22.46
	17	गडनदी	0.10	1.12	0.81
	18	डोंगरगांव	1.17	2.56	2.16
	19	संगोला शाखा नहर	0.66	2.45	5.10
	20	खड़कपूर्णा	2.14	12.00	26.02
	21	वर्ना	102.47	0.00	0.00
	22	मोरना (गुरेघर)	0.33	0.00	0.00
	23	निचली पेधी	4.18	6.31	0.00
	24	वाग परियोजना	0.32	0.00	0.00
	25	नरदवे (महमाडवाडी)	1.27	10.80	0.00
	26	कुदाली	0.00	1.13	0.00
		कुल	379.22	363.52	527.55
मणिपुर	1	थोबल	105.53	11.62	21.93
	2	दोलाईथाबी बैराज	21.47	13.80	0.00
		कुल	127.00	25.42	21.93
ओडिशा	1	निचली इंद्रा (केबीके)	89.75	0.00	0.00
	2	ऊपरी इंद्रावती (केबीके)	18.00	0.00	0.00
	3	रूकुरा-जनजातीय	7.26	16.63	1.23
	4	सुवर्णरेखा	200.66	240.79	45.27
	5	आनंदपुर बैराज फेज-I/एकीकृत आनंदपुर बैराज	16.39	0.00	0.00
	6	आरईटी सिंचाई	34.40	47.12	14.60
	7	कानुपुर	32.96	28.51	48.82
	8	तेलनगिरी	58.32	131.66	9.47
		कुल	457.74	464.71	119.39
पंजाब	1	कांडी नहर विस्तार (फेज-II)	45.76	0.00	0.00
	2	पहली पटियाला फीडर और कोटला शाखा परियोजना का पुनर्वास	6.66	0.00	0.00
		कुल	52.42	0.00	0.00
राजस्थान	1	नर्मदा नहर	40.79	199.99	93.43
	2	गंग नहर का आधुनिकीकरण	5.10	16.88	1.72
		कुल	45.89	216.87	95.15
तेलंगाना	1	श्री कोमाराम भीम	0.00	0.00	0.00

राज्य	क्र.□□	परियोजना	2016-17	2017-18	2018-19
	2	गोल्लावागु	2.18	0.00	0.00
	3	रालीवागु	0.00	0.00	0.00
	4	मथाडीवागु	2.67	0.00	1.99
	5	पेड्डावागु @ नीलवाई	0.67	0.00	0.00
	6	पालेमवागु	0.00	0.00	0.00
	7	पेड्डावागु @ जगन्नाथपुर	0.00	0.00	0.00
	8	एसआरएसपी चरण-II	17.02	13.24	0.00
	9	राजीव भीमा एलआइ स्कीम	54.48	0.00	0.00
	10	जे. चोक्काराव एलआईएस	470.60	0.00	0.00
	11	इंदिरम्मा बाढ़ प्रवाह नहर	0.00	0.00	0.00
कुल			547.63	13.24	1.99
उत्तर प्रदेश	1	बाणसागर नहर	64.64	63.36	15.51
	2	अर्जुन सहायक	9.00	2.25	57.84
	3	मध्य गंगा नहर फेज-II	0.00	0.00	18.81
	4	सरयू नहर (एनपी)	62.00	0.00	305.00
कुल			135.64	65.61	397.16
□□ □□			**3309.46**	**3596.61**	**2849.09**

******

अनुलग्नक - III

"सिंचाई की क्षमता" विषय पर दिनांक 25.07.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5384 □□□□ (□) □□(□) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक□

वर्ष 2016-17, 2017-18 □□ 2018-19 के लिए पीएमकेएसवाई के तहत कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के लिए जारी राज्य केन्द्रीय □□□□□

(करोड़ रूपए)

क्र.□□	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	69.18
2	अरुणाचल प्रदे	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.00	0.00	3.55
4	बिहार	12.64	8.76	14.42
5	छत्तीसगढ़	0.00	11.78	9.93
6	गोवा	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	681.64	690.48	347.04
8	हरिय़ाणा	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदे	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	1.70
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00
12	कनोटक	31.42	15.24	13.49
13	केरल	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	77.75	102.79	70.91
15	महाराष्ट्र	15.17	32.83	25.79
16	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
19	नगालैंड	0.00	0.00	0.00
20	ओडिशा	35.28	58.57	3.65
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	0.00	2.48	7.43
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
25	तेलंगाना	0.00	10.22	26.12
26	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
28	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
	□□	**853.90**	**933.13**	**593.21**

*****